212

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ 13(1)( ) सा0सु0/वृक/सान्याअवि/18–19/ 65885 जयपुर, दिनांक: 7-11-2019

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)

राज्य में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की पालना में वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से **राजकीय वृद्धाश्रम, स्वयंसिद्धा परिसर, जामडोली, आगरा रोड, जयपुर** स्थित भवन में प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संस्थाओं/ट्रस्टों के माध्यम से राज्य सरकार एवं चयनित संस्था के मध्य (मेमोरेण्डम आफ अण्डरटेकिंग M.O.U.) के आधार पर वृद्धाश्रम (Old Age Home) का संचालन किया जाना है।

वृद्धजनों को सम्मानजनक जीवन–यापन करने के लिये इन वृद्धाश्रमों में प्रवेश दिया जायेगा ताकि इन्हें स्वास्थ्य, पोषण एवं देखभाल की सुविधाएं इन वृद्धाश्रमों में प्रदान की जा सकें। इस योजना के क्रियान्वयन में स्वयं सेवी संस्था एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

अतः इसके लिये वृद्ध कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित, आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ ट्रस्ट/स्वयं सेवी संस्थाओं से निम्न शर्तों पर प्रस्ताव आमन्त्रित करती है:–

1. इच्छुक स्वयं सेवी संस्थाएं अपना प्रस्ताव सम्बन्धित जिले के जिला कलक्टर को दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 को सायं 5.00बजे तक प्रस्तुत कर सकेगी।
2. चयनित संस्था को वृद्धाश्रम संचालन की अनुमति 2वर्ष के लिये मान्य होगी जिसे आगे राज्य सरकार की अनुमति से बढ़ाया जा सकेगा।
3. चयनित स्वयं सेवी संस्था के आदेश जारी करने से पूर्व ट्रस्ट/संस्था को राज्य सरकार के साथ एम.ओ.यू. करना होगा जिसमें संचालन की शर्तें विस्तृत रूप से उल्लेखित होगी।
4. स्वयं सेवी संस्था को संचालन हेतु विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार केवल निर्धारित मैस–भत्ता राशि अनुदान देय होगा। इसके अतिरिक्त होने वाले अन्य सभी व्यय संस्था स्वयं वहन करेगी।
5. वृद्धाश्रम का संचालन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
6. पूर्व में यदि आवेदन किये गये है, उन्हें पुनः आवेदन किया जाना होगा।

अन्य जानकारी हेतु सम्पर्क जिला कार्यालय अथवा निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अम्बेडकर भवन, जी–3/1, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर कमरा न0–317 द्वितीय–तल एवं विस्तृत दिशा निर्देशों का विवरण विभागीय वेबसाईट **http//sje.rajasthan.gov.in** पर देखा जा सकता है।

(सांवर मल वर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव